कोल इण्डिया लिमिटेड

(एक महारत्न कंपनी)
(भारत सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट पहचान संख्या L23109WB1973GOI 028844
'कोल भवन', परमाइस सं.04-1111, ए एफ -III
एक्शन एरिया-1 ए, न्यूटाउन, राजरहाट
फोन- 03322488099 कोलकाता-700156,

सीआईएल हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना

1.0 शीर्षक:

इस योजना को **'सीआईएल हिंदी पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना'** कहा जाएगा ।

2.0 उद्देश्य:

2.1 इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में सीआईएल में पदस्थ कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए तकनीकी, वित्त, प्रबंधन, रचनात्मक साहित्य तथा ऐसे विषयों पर जो सीआईएल के कार्य क्षेत्र से संबंधित हों, हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना है जिससे सीआईएल में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिले ।

3.0 योजना की व्याप्तिः

3.1 यह योजना सीआईएल मुख्यालय के सभी विभागों सहित सीआईएल के क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय / संपर्क कार्यालय, आईआईसीएम, रॉची तथा एनईसी में पदस्थ सभी स्तर के नियमित कार्मिक पर लागू होगी ।

4.0 अवधिः

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष अर्थात **1 अप्रैल से 31 मार्च** तक की अवधि के दौरान हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा ।

5.0 पात्रताः

5.1 सीआईएल मुख्यालय के सभी विभागों सहित, क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय / संपर्क कार्यालय, आईआईसीएम, रॉची तथा एनईसी में पदस्थ सभी नियमित कार्मिक इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

5.2 योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए हिंदी में लिखी गई उन्हीं पुस्तकों को स्वीकार किया जाएगा, जो लेखक की मौलिक रचना हों । इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

5.3 संकलित, संपादित अथवा पूर्व वर्षों में प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं होगी ।

5.4 पुस्तक की विषय वस्तु वित्त/तकनीकी/प्रबंधन/रचनात्मक साहित्य से संबंधित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीआईएल के कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय पर लिखी गई पुस्तक को भी इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकेगा ।

5.5 लेखक इस आशय का प्रमाण - पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कॉपीराइट एक्ट 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

6.0 मूल्यांकन मापदंडः

6.1 वर्ष के दौरान पुरस्कार के लिए विचार करने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक पिछले वित्त वर्ष में प्रकाशित की गई होनी चाहिए ।

6.2 एक वित्त वर्ष में किसी कार्मिक की केवल एक पुस्तक पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

6.3 योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक कार्मिकों को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की पॉच प्रतियां तथा विषय वस्तु का सार निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित विवरण (अनुलग्नक 1) सहित अपने विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख के माध्यम से राजभाषा विभाग, सीआईएल मुख्यालय को भेजनी होगी । विभागाध्यक्ष अपनी प्रविष्टियां सीधे राजभाषा विभाग को भेज सकेंगे।

6.4 पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी गई होनी चाहिए तथा 100 से अधिक पृष्ठों की होनी चाहिए । एक पृष्ठ में कम से कम मानक रुप में 250 शब्द होना चाहिए ।

6.5 पुस्तक संपादित या संकलित नहीं होनी चाहिए । पुस्तक सीआईएल के किसी कार्मिक द्वारा अपनी पत्नी या पति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से या दो कार्मिकों द्वारा संयुक्त

रूप से लिखी हुई हो सकती है किंतु यदि पुस्तक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर लिखी गई है जो न तो सीआईएल का कार्मिक है और ना ही कार्मिक की वैध पत्नी /पति है, तो ऐसी स्थिति में उस पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जा सकेगा।

6.6 पुस्तक एक से अधिक कार्मिकों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी होने की स्थिति में प्रोफार्मा पर सभी लेखक कार्मिकों का विवरण देना एवं उनके हस्ताक्षर होने अपेक्षित हैं।

7.0 पुरस्कार:

7. 1 इस योजना के तहत एक वित्त वर्ष में मूल रूप से हिंदी में लिखी मौलिक पुस्तकों के लेखकों को निम्नवत पुरस्कार दिए जाएंगे -

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की राशि
1	प्रथम पुरस्कार	20,000/- रुपये
2	द्वितिय पुरस्कार	16,000/- रुपये
3	तृतीय पुरस्कार	10,000/- रुपये
4	सांत्वना पुरस्कार	7,000/- रुपये

इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में पुरस्कार पर कुल (20,000+16,000+ 10,000+7,000) = 53,000/- रुपये (तिरपन हजार रुपये) का व्यय होगा ।

7.2 उक्त पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा विभाग, सीआईएल मुख्यालय के बजट से किया जाएगा तथा पुरस्कार राशि चेक अथवा कार्मिक के एकाउंट में प्रदान की जाएगी ।

7.4 पुरस्कृत पुस्तक की आवश्यकतानुसार अथवा 25 प्रतियों का क्रय राजभाषा विभाग, सीआईएल मुख्यालय द्वारा किया जाएगा तथा उन्हें संसदीय राजभाषा समिति, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, कोयला मंत्रालय एवं सीआईएल के पुस्तकालयों में रखा जाएगा ।

7.5 इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रकाशित पुस्तकें, चाहे वे पुरस्कृत हों या नहीं, उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता को देखते हुए उनकी अपेक्षित प्रतियां खरीदने का निर्णय पृथक रुप से लिया जाएगा ।

8.0 योजना का प्रबंधन:

8.1 इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग सीआईएल मुख्यालय द्वारा किया जाएगा ।

8.2 उक्त योजना के तहत प्राप्त पुस्तकों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए **निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं.)** के अनुमोदन से एक **मूल्यांकन समिति का गठन** किया जाएगा, जिसमें कम से कम 3 अधिकारी होंगे । इस समिति में राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा उस विषय से संबंधित विभागों से अधिकारी शामिल होंगे । समिति का **अध्यक्ष महाप्रबंधक स्तर** के अधिकारी होंगे तथा इसके सदस्य कम से कम **वरीय प्रबंधक स्तर** के होंगे । तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकन समिति के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है । पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा पुरस्कार राशि का भुगतान **निदेशक (का. एवं औ.सं.)** के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा।

9.0 सामान्य:

9.1 सीआईएल मुख्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए **निदेशक (का. एवं औ.सं.)** के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है।

9.2 यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी ।